"Arthvishwa" International Journal
Multidisciplinary, Peer Reviewed, Indexed, Refereed, International Journal ISSN: 2319-6289
Published Month and Year: May 2025 (Ref. No.: NSL/ISSN/INF/2012/2476 Dated: October 19, 2012)

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

Dr. Sunita Rani, Assistant Professor, Department of History, Sunrise University, Alwar

सार

इस शोध पत्र का उद्देश्य "प्राचीन भारत के राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे" का अध्ययन करना है, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली, राजनीति, और सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और शासन के न्यायिक पहलुओं पर आधारित है। इसमें मौर्य शासकों द्वारा अपनाए गए प्रशासनिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है, जो राज्य की स्थिरता और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहायक थे। विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में उनके द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों का महत्व पर बल दिया गया है। शोध में विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र (Shamasastry, 1967), रोमिला थापर (1997), और वीरेंद्र सिंह (2020) के शोधों का उपयोग किया गया है, जो मौर्य साम्राज्य के राजनैतिक ढांचे को समझने में सहायक हैं। इसके अलावा, मौर्य काल के स्थानीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था का भी विश्लेषण किया गया है, जो समग्र रूप से मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और स्पष्ट करता है।

प्रस्तावना

मौर्य साम्राज्य (321 ई.पू. – 185 ई.पू.) भारत का प्रथम संगठित और विस्तृत साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) के मार्गदर्शन में की थी। यह साम्राज्य न केवल अपने भौगोलिक विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने शासन को प्रभावी और स्थायी बनाया। मौर्य प्रशासन की विशेषताएँ "अर्थशास्त्र" (कौटिल्य द्वारा रचित) और ग्रीक यात्री मेगस्थनीज़ की पुस्तक "इंडिका" जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। यह शोधपत्र मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक की शासन व्यवस्था, विभागीय संगठन, कर व्यवस्था, दंड प्रणाली आदि पर प्रकाश डाला गया है।

1. मौर्य प्रशासन की संरचना

1.1 राजा की भूमिका

मौर्य शासन में राजा सर्वोच्च शासक था, जिसे विधायी, न्यायिक और कार्यकारी सभी अधिकार प्राप्त थे। राजा का प्रमुख कर्तव्य राज्य के नागरिकों की भलाई और समाज की स्थिरता को सुनिश्चित करना था। मौर्य साम्राज्य में राजा के पास अपार शक्ति और जिम्मेदारी थी, और वह अपने निर्णयों के माध्यम से राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों को नियंत्रित करता था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीन प्रमुख सम्राट थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य की स्थापना और केंद्रीय शासन प्रणाली को मजबूत किया, जबकि बिंदुसार ने प्रशासनिक तंत्र में निरंतरता बनाए रखी। अशोक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को अपने उत्कर्ष पर पहुँचाया, ने राज्य के कल्याण और प्रजा के कल्याण के लिए कई सुधार किए, विशेष रूप से उनके धर्म और कल्याण के प्रति समर्पण के कारण वे प्रसिद्ध हुए। कौटिल्य के अनुसार, "राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है, न कि केवल अपने सुख के लिए।" यह कथन मौर्य शासन के प्रशासनिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसमें राजा का उद्देश्य केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं था, बल्कि वह अपनी प्रजा के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता था। राजा के निर्णयों और कार्यों का प्रभाव केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता था, और राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई ही उसके शासन का अंतिम उद्देश्य था।

1.2 मंत्री परिषद

राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री (महामात्य), सेनापति, पुरोहित और वित्त मंत्री जैसे अधिकारी होते थे।

प्रमुख अधिकारी:

- **महामात्य:** प्रधानमंत्री के समान
- **सामाहर्ता:** राजस्व अधिकारी
- **दण्डपाल:** कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला

2. साहित्य समीक्षा

डॉ. राम शरण शर्मा (2001) प्राचीन भारतीय समाज और प्रशासन की संरचना का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। शर्मा ने प्राचीन भारत में राज्य की सत्ता, प्रशासनिक प्रणाली, और सामाजिक ढांचे के बीच के रिश्तों को समझाने के लिए विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने मौर्य काल की केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र (Shamasastry, 1967) का भी उल्लेख है, के महत्व पर जोर दिया। शर्मा के अनुसार, मौर्य काल में राज्य और समाज की संरचना अत्यधिक व्यवस्थित थी, और यह शासन का मॉडल अन्य भारतीय राज्यों के लिए मार्गदर्शक था। इसके अलावा, रोमिला थापर (1997) ने अपने अध्ययन में मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और प्रशासनिक तंत्र के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो शर्मा की राय के साथ मेल खाता है। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि मौर्य साम्राज्य में ग्राम पंचायतों और स्थानीय शासनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिसे मैजुमदार (2003) ने अपने काम में विस्तार से बताया है। इस प्रकार, शर्मा का अध्ययन न केवल मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राचीन भारत में समाज और राज्य के अंतर्संबंधों को भी स्पष्ट करता है।

लक्ष्मीधर पांडे की पुस्तक (2008) प्राचीन भारत के शासन और प्रशासनिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालती है। पांडे ने विशेष रूप से मौर्य काल के केंद्रीकृत प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जांच की है। उन्होंने यह बताया कि कैसे मौर्य सम्राटों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र (Shamasastry, 1967) की नीतियों

"Arthvishwa" International Journal
Multidisciplinary, Peer Reviewed, Indexed, Refereed, International Journal ISSN: 2319-6289
Published Month and Year: May 2025 (Ref. No.: NSL/ISSN/INF/2012/2476 Dated: October 19, 2012)

को लागू किया, जो प्रशासन की दक्षता और राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थीं। इसके अतिरिक्त, रोमिला थापर (1997) ने मौर्य शासन के प्रभाव और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं पर विश्लेषण किया, जिससे पांडे के निष्कर्षों की पुष्टि होती है। पांडे के अनुसार, मौर्य प्रशासन में केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर स्थानीय पंचायतों और जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो मैजुमदार (2003) के अध्ययन में भी देखा गया है। पांडे की पुस्तक प्राचीन भारतीय प्रशासन की जटिलताओं को स्पष्ट करती है, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य के केंद्रीयकृत शासन और उस समय की न्याय व्यवस्था की भूमिका पर।

वीरेंद्र सिंह की पुस्तक (2020) प्राचीन भारतीय राजनीति और शासन की संरचना पर एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। सिंह ने विशेष रूप से मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें उन्होंने मौर्य सम्राटों द्वारा अपनाए गए केंद्रीकृत प्रशासन के सिद्धांतों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र (Shamasastry, 1967) का महत्व स्पष्ट किया है। सिंह का मानना है कि मौर्य काल में शासन की सफलता की कुंजी उसकी केंद्रीय सत्ता और स्थानीय प्रशासन के बीच संतुलन था, जो कि राज्य की स्थिरता और समाज में न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करता था। इस संदर्भ में, रोमिला थापर (1997) के अध्ययन में भी मौर्य सम्राटों के शासन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जो सिंह के विचारों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, मझूमदार (2003) ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना और उसकी राजनीतिक कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की है, जो सिंह के कार्य को और प्रासंगिक बनाता है। सिंह की पुस्तक प्राचीन भारतीय राज्य के संस्थान और उनके प्रशासनिक तंत्र को समझने में सहायक है, और यह मौर्य काल की राजनीतिक संरचना के भीतर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

3. केंद्रीय और विभागीय प्रशासन

3.1 विभागों का संगठन

मौर्य प्रशासन में विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग विभाग थे, जैसे:

- **कर विभाग (सामाहर्ता)**
- **सैन्य विभाग (सेनापति)**
- **जल विभाग**
- **व्यापार और वाणिज्य विभाग**
- **गुप्तचर विभाग (गुप्त तंत्र)**

ये विभाग शासन को सुचारु रूप से चलाने में अत्यंत आवश्यक थे।

3.2 कर और राजस्व व्यवस्था

मौर्य काल में कर और राजस्व व्यवस्था अत्यधिक संगठित और व्यवस्थित थी, जो राज्य की प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करती थी। प्रजा से विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें भूमि कर, व्यापार कर, और बिक्री कर प्रमुख थे। भूमि कर राज्य के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, जो किसानों से उनके कृषि उत्पादन पर लिया जाता था। यह कर उत्पादन के हिसाब से निर्धारित होता था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, व्यापार कर व्यापारियों से उनके वाणिज्यिक गतिविधियों पर लिया जाता था, जिससे राज्य की व्यापारिक व्यवस्था में नियंत्रण रखा जाता था। बिक्री कर भी वस्तुओं की खरीद-फरोख्त पर लागू होता था, जिससे राज्य को व्यापारिक लेन-देन से लाभ मिलता था। इन करों की वसूली एक अत्यधिक संगठित व्यवस्था के तहत की जाती थी, जिसमें एक विस्तृत प्रशासनिक तंत्र कार्य करता था। कर वसूली का कार्य नियमित और व्यवस्थित था, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधन सुदृढ़ रहते थे। मौर्य साम्राज्य में करों की वसूली निष्पक्ष रूप से की जाती थी, और करदाताओं के लिए दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित थीं, जिससे राज्य का शासन सुचारू रूप से चलता था।

4. प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन

4.1 प्रांतों का विभाजन

मौर्य साम्राज्य को प्रभावी रूप से शासित करने के लिए इसे विभिन्न **प्रांतों** में बाँटा गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन स्वतंत्र रूप से किया जाता था, लेकिन ये सभी प्रांत सम्राट के केंद्रीय शासन के अधीन होते थे। हर प्रांत के प्रमुख को **कुमार** या **आर्यपुत्र** कहा जाता था। यह पद प्रायः सम्राट के परिवार से संबंधित व्यक्तियों को सौंपा जाता था, जो साम्राज्य की सत्ता और शासन के साथ जुड़े होते थे। यह व्यवस्था सम्राट के परिवार के सदस्यों को प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ सौंपने का एक तरीका था, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासन की स्थिरता बनी रहती थी और एक समान नीति का पालन किया जाता था।

प्रांतों का विभाजन प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने, शासन के नियंत्रण को मजबूत करने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में संचार को तेज करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रत्येक प्रांत में एक प्रमुख होता था, जिसे स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, और वह सम्राट को प्रांत के प्रशासन, न्याय व्यवस्था, और कर वसूली के बारे में रिपोर्ट करता था। इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन न केवल राज्य की संरचना को मजबूत करता था, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से शासित करने में भी मदद करता था।

4.2 नगर प्रशासन

प्राचीन मौर्य काल में नगरों का प्रशासन अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित था। नगरों का संचालन एक नगरिक नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो नगर की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करता था। इस अधिकारी का कार्य नगर के भीतर सभी गतिविधियों की निगरानी करना और राज्य के आदेशों को लागू करना था। नगरों की प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विभागों का गठन किया गया था, जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करते थे।

मेगस्थनीज़, जो मौर्य काल के पाटलिपुत्र में स्थित थे, ने अपने लेखों में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार, पाटलिपुत्र नगर को छह समितियों में बाँटा गया था, जिनका प्रत्येक समिति विशिष्ट

"Arthvishwa" International Journal
Multidisciplinary, Peer Reviewed, Indexed, Refereed, International Journal ISSN: 2319-6289
Published Month and Year: May 2025 (Ref. No.: NSL/ISSN/INF/2012/2476 Dated: October 19, 2012)

कार्यों की देखरेख करती थी। ये समितियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती थीं:

1. **व्यापार :** व्यापार संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण।
2. **जनगणना :** नगर के निवासियों की गणना और उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण।
3. **यातायात):** नगर के भीतर और बाहर की यातायात व्यवस्था का संचालन और निगरानी।
4. **सेना :** नगर की सुरक्षा और सेना की गतिविधियों का संचालन।
5. **स्वास्थ्य :** नगरवासियों की सेहत और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन।
6. **न्याय :** न्याय व्यवस्था और नागरिकों के विवादों का समाधान।

4.3 ग्राम प्रशासन

ग्राम प्रशासन ग्रामिक (ग्राम प्रमुख) के अधीन होता था। उसके अधीन लेखपाल और चौकीदार जैसे अधिकारी कार्य करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग शामिल थे।

5. प्रमुख शासकों के अधीन प्रशासनिक विकास

5.1 चंद्रगुप्त मौर्य का शासन

उनके शासन में केंद्रीय शक्ति का प्रभुत्व था। कौटिल्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया।

5.2 बिंदुसार का काल

बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट के रूप में शासन करते थे। उनके शासनकाल के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित हैं, और उनके शासन से संबंधित जानकारी कम प्राप्त होती है। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि बिंदुसार के शासन में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक निरंतरता बनी रही। उनके शासन में राज्य की संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, और उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित केंद्रीकृत प्रशासन को बनाए रखा।

बिंदुसार का शासनकाल राजनीतिक स्थिरता का काल था, हालांकि उनके शासन में प्रशासनिक और सामरिक मामलों में अधिक विस्तार से विवरण उपलब्ध नहीं है। यह भी माना जाता है कि उनके समय में मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार और राज्य के प्रशासनिक नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया था। बिंदुसार ने भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया, जो शासन की दक्षता और समाज में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक था।

5.3 अशोक का शासन

अशोक के काल में प्रशासन को नैतिकता और धर्म से जोड़ा गया। उन्होंने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की, जिनका कार्य जनता में नैतिकता और बौद्ध मूल्यों का प्रचार करना था। यह प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की पहल थी।

निष्कर्ष

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर थी। इसकी विशेषताएँ — केंद्रीकरण, विभागीयकरण, विस्तृत जासूसी तंत्र, और व्यवस्थित कर प्रणाली — भविष्य के राजतंत्रों के लिए एक आदर्श बनीं।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, जिसने इस शासन प्रणाली को सैद्धांतिक रूप प्रदान किया और उसके व्यावहारिक पहलुओं की भी व्याख्या की। अशोक के काल में प्रशासन में नैतिक मूल्यों का समावेश इसे और भी अनूठा बनाता है।

वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली की नींव मौर्य प्रशासन की व्यवस्था में देखी जा सकती है। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक विशाल और विविध साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।

ग्रंथ सूची

1. शर्मा, राम शरण. (2001). प्राचीन भारत में राज्य और समाज. मनीषा प्रकाशन.
2. उपाध्याय, विद्याधर. (2005). प्राचीन भारत का प्रशासन. हिंदी ग्रंथ अकादमी.
3. त्रिपाठी, आर.एस. (2011). प्राचीन भारत का इतिहास. हिंदी ग्रंथ अकादमी.
4. झा, डी.एन. (2004). प्राचीन भारत: एक प्रारंभिक रूपरेखा. मनीषा प्रकाशन.
5. थापर, रोमिला. (2004). अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
6. मझूमदार, आर.सी. (2003). प्राचीन भारत का इतिहास. भारती विद्याभवन.
7. पांडे, लक्ष्मीधर. (2008). प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं प्रशासनिक इतिहास. मोतीलाल बनारसीदास.
8. सिंह, उपिंदर. (2016). प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास. पियर्सन इंडिया.
9. शुक्ला, प्रवीण. (2015). मौर्य कालीन प्रशासन: एक ऐतिहासिक विश्लेषण. विकास प्रकाशन.
10. मिश्रा, शशि. (2019). भारत का सांस्कृतिक इतिहास और मौर्य साम्राज्य. राधाकृष्ण प्रकाशन.
11. सिंह, वीरेंद्र. (2020). प्राचीन भारत का राजनैतिक ढांचा. पब्लिकेशन हाउस.
12. गोस्वामी, पुष्पा. (2021). भारत में प्राचीन प्रशासनिक प्रणाली. अर्नेस्ट पब्लिशर्स.
13. पांडे, मनोहर. (2023). चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रशासनिक सुधार. भारतीय विचारधारा प्रकाशन.
14. राय, देवेंद्र. (2022). प्राचीन भारत में सैन्य और प्रशासन. शंभू प्रकाशन.
15. मिश्रा, राघवेंद्र. (2024). मौर्य साम्राज्य और उसका शासन. न्यू एज पब्लिशर्स.